

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची ।

प्रेस विज्ञाप्ति

विज्ञाप्ति संख्या—.....

दिनांक
.....

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के लिए बाह्य स्रोत से वाहन उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ता के लिए आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना ।

राज्य सरकार के संकल्प संख्या 2316 /वि० दिनांक 04.10.2024 के क्रम में झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के लिए बाह्य स्रोत से वाहनों की आपूर्ति किये जाने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं का चयन कर वाहन का दर निर्धारण किया जाना है। अतः ऐसे इच्छुक आपूर्तिकर्ता, जो झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत वाहन उपलब्ध कराने में सहमत हैं, से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक—05.03.2025 को अपराह्न 06:00 बजे है। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं शर्तें तथा अन्य विवरण झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के आधिकारिक वेबसाईट www.jpsc.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

ह० /—
अवर सचिव (सामान्य),
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची ।

अधिकारी - ३२८
क्रमांक - १०/०२/२५

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के लिए बाह्य स्रोत से वाहन उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक
आपूर्तिकर्ता के लिए आवेदन-पत्र

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि ०५.०३.२०२५ अपराह्न ०६:०० बजे तक।

आवेदनकर्ता द्वारा भरा जायेगा

- आवेदक की विधिक स्थिति (व्यक्तिगत/पार्टनरशिप).....
- आवेदक का नाम/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/एजेन्सी का नाम

(आवेदक/पार्टनरशिप फर्म का आई०डी० यथा— चालक लाईसेन्स, पासपोर्ट, वोटर आई०डी०,
निवास प्रमाण पत्र, G.S.T. रजिस्ट्रेशन नम्बर आदि अभिप्रमाणि छायाप्रति संलग्न किया जाए)

- पता

- दूरभाष नम्बर/मोबाइल नम्बर.....
- फैक्स नम्बर/ई-मेल.....
- आवेदक का G.S.T. रजिस्ट्रेशन नम्बर (यदि कोई हो).....
- पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/एजेन्सी का G.S.T. रजिस्ट्रेशन नम्बर.....
- आवेदक/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/एजेन्सी का पैन नम्बर
- आवेदक/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/एजेन्सी के स्वामित्वाधीन वाहनों की संख्या.....

(वाहन का मेक, मॉडल, प्रकार आदि का पूर्ण विवरण प्रारूप-१ पर संलग्न करें)

- राज्य सरकार के साथ किये गये कार्यों का विवरण (यदि कोई हो) (वैकल्पिक) (पूर्ण विवरण
प्रारूप-२ पर संलग्न की जाय)
- प्रतिभूति की धनराशि रूपये— (शब्दों में)
बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक.....
बैंक का नाम.....

घोषणा—पत्र

मैं सशपथ घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की विज्ञाप्ति संख्या..... दिनांक के अन्तर्गत “आवेदनकर्ता हेतु आवश्यक निर्देश” एवं ‘सामान्य नियम एवं शर्तें’ में विहित समस्त शर्तों एवं दरों का अवलोकन किया गया है एवं स्पष्ट रूप से समझा है।

मैं झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा निर्धारित शर्तों पर अपनी वाहन दैनिक/मासिक आधार पर देने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर एवं मुहर

आवेदनकर्ता का नाम :

आवेदनकर्ता का पता :

प्रारूप-1
(आवेदक / पार्टनरशिप फर्म के स्वामित्वाधीन वाहनों की संख्या)

क्रं. सं.	वाहन संख्या	वाहन का मेक	मॉडल	प्रकार	पंजीयन की तिथि	सीट क्षमता	ईधन का प्रकार	एसी / नॉन एसी

आवेदक का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रारूप-2
(राज्य सरकार के साथ किये गये कार्य का विवरण)

क्र. सं.	विभाग / कार्यालय का नाम	अवधि	वाहन संख्या	वाहन का मेक	मॉडल	प्रकार	सीट क्षमता	ईंधन का प्रकार	एसी / नॉन एसी

आवेदक का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रारूप-3

क्रं. सं.	वाहन का मेक	मॉडल	प्रकार	एसी / नॉन एसी	मासिक दर 1500 कि०मी० प्रतिमाह एवं प्रतिदिन 10 घंटा के लिये	प्रत्येक अतिरिक्त कि०मी० का दर प्रतिमाह
1	Skoda Octavia					
2	Skoda Superb					
3	Toyota Innova Crysta					
4	Hyundai Verna					
5	Honda City					
6	Volkswagen Virtus					
7	Skoda Slavia					
8	Maruti Suzuki Ciaz					
9	Maruti Suzuki Swift Dzire					
10	Hyundai Aura					
11	Honda Amaze					
12	Mahindra Scorpio					
13	Tata Safari					
14	Mahindra Bolero Neo					
15	Mahindra Bolero					

आवेदक का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रारूप—4

क्र. सं.	वाहन का मेक	मॉडल	प्रकार	एसी / नॉन एसी	प्रतिदिन का दर 80 कि०मी० एवं 10 घंटे के लिए	अतिरिक्त कि०मी० का दर	अतिरिक्त एक घंटे का दर
1	Skoda Octavia						
2	Skoda Superb						
3	Toyota Innova Crysta						
4	Hyundai Verna						
5	Honda City						
6	Volkswagen Virtus						
7	Skoda Slavia						
8	Maruti Suzuki Ciaz						
9	Maruti Suzuki Swift Dzire						
10	Hyundai Aura						
11	Honda Amaze						
12	Mahindra Scorpio						
13	Tata Safari						
14	Mahindra Bolero Neo						
15	Mahindra Bolero						

आवेदक का हस्ताक्षर एवं मुहर

आवेदनकर्ता हेतु आवश्यक निर्देश

(1) उद्देश्य एवं कारणः—

प्रस्तुत आवेदन पत्र आमंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में वाहन संचालन के क्षेत्र में कार्यरत सभी परिवहन व्यवसायियों को राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में समान दर पर वाहन उपलब्ध कराने के लिये समान अवसर प्रदान करना है। अतः उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों/कार्यालयों में बाह्य स्रोत से वाहन की आपूर्ति किये जाने के इच्छुक आपूर्तिकर्ता के झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची में आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

(2) आवेदन प्रपत्र एवं मूल्यः—

आवेदन प्रपत्र, सामान्य नियम एवं शर्तें व अन्य विवरण झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के आधिकारिक वेबसाईट www.jpsc.gov.in में उपलब्ध कराये गये हैं। इच्छुक प्रतिभागी द्वारा आवेदन पत्र, उक्त वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के नाम से ₹0 1,000/- (एक हजार) मात्र का अनुसूचित बैंक से बिना शर्त बैंक गारंटी या डिमांड ड्राफ्ट आवेदक द्वारा मूलरूप में संलग्न किया जायेगा।

(3) न्यूनतम अर्हता:—

(क) पात्र आवेदक

- (i) पात्र आवेदक से आशय, ऐसे व्यक्ति/फर्म/कम्पनी से है, जो इस प्रपत्र में दी गई सभी शर्तों को पूर्ण करता है। आवेदक को अपनी पात्रता के संबंध में आवश्यक अभिलेख, जो आवेदन में उसके द्वारा दिए गए कथनों की पुष्टि करते हैं, संलग्न करना अनिवार्य है। भागीदारी फर्म/कम्पनी की दशा में प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को पॉवर ऑफ अटार्नी भी संलग्न करना अनिवार्य है।
- (ii) आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त किसी भी समय फर्म/कम्पनी/एजेन्सी की संरचना (Composition) में परिवर्तन बिना झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की लिखित अनुमति के नहीं किया जाएगा।

(ख) कार्यप्रभारित प्रतिभूति (Security Deposit)/ई०एम०डी० (Earnest Money Deposit)

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ ₹0 20,000/- (बीस हजार) मात्र कार्यप्रभारित प्रतिभूति (Security Deposit)/ई०एम०डी० (Earnest Money Deposit) के रूप में जमा करायी जाएगी। इस हेतु अपेक्षित धनराशि का अनुसूचित बैंकों से बिना शर्त बैंक गारंटी या बैंक ड्राफ्ट, जो झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के नाम से हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। उक्त धनराशि सेवा की सम्पूर्ण अवधि हेतु धरोहर के रूप में झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के कार्यालय में जमा रहेगी तथा कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

- (ग) अन्य प्रमाण पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाएं
- (i) इस आशय का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि आवेदक का नाम, शासन, राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग, कार्यालय अथवा निगम की काली सूची में अंकित नहीं है।
 - (ii) इस आशय का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि आवेदक या उसके पार्टनर या कम्पनी के विरुद्ध किसी प्रकार का पुलिस/विजीलेन्स जाँच विचाराधीन नहीं है और न ही उन्हें किसी सक्षम माननीय न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए कभी दण्डित किया गया है।
 - (iii) आवेदक/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/एजेन्सी GST/Commercial Tax विभाग में पंजीकृत है अथवा नहीं, का प्रमाणपत्र भी संलग्न किया जाए।
 - (iv) आवेदन में अपेक्षित विगत वर्षों में किये गये कार्यों संबंधी अनुभव प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति।
 - (v) इस आशय का घोषणापत्र कि आवेदक आवेदन पत्र में उल्लिखित संख्या में वाहन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
- (घ) वाहन का रंग
- आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले वाहन का रंग सफेद होना अनिवार्य होगा।
- (ङ) वैकल्पिक अथवा सशर्त आवेदन
- आवेदक/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/एजेन्सी द्वारा मात्र एक ही आवेदन समर्पित किया जायेगा। आवेदक द्वारा समर्पित वैकल्पिक अथवा सशर्त आवेदन रद्द कर दी जायेगी, जिसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (4.) तकनीकी निविदा के लिए आवश्यक दस्तावेज
- (i) पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/एजेन्सी के पास वैध जी०एस०टी० पंजीकरण संख्या होना चाहिए तथा पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/एजेन्सी का पंजीकृत अथवा शाखा कार्यालय रॉची, झारखण्ड में स्थित होना चाहिए।
 - (ii) पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/एजेन्सी को ई०एस०आई०सी० एवं ई०पी०एफ० के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
 - (iii) इच्छुक आवेदक के पास SEDAN/COMPACT SEDAN/SUV/COMPACT SUV/MUV श्रेणी के वाहनों में (Make & Model) कम से कम 01 वाहन (स्वयं के नाम से पंजीकृत) होना आवश्यक है। पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/एजेन्सी के पास न्यूनतम 5–10 की संख्या में समान प्रकार के

वाहनों का पंजीकरण एजेंसी के नाम पर अथवा पार्टनरशिप फर्म के प्रोपराईटर के नाम पर होनी चाहिए।

- (iv) आवेदक/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/एजेंसी के पास प्रासंगिक वाहन सेवा में कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए।
- (v) पिछले तीन वित्तीय वर्ष यथा 2021–22, 2022–23, 2023–24 के दौरान न्यूनतम आवश्यक औसत वार्षिक कारोबार रूपये 5,00,000/- (पाँच लाख) मात्र या इससे अधिक का होना चाहिए (ऑडिट ट्रेडिंग एवं पी०/एल० खाता संलग्न करें।)
- (vi) झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के नाम पर अनुसूचित बैंकों से बिना शर्त बैंक गारंटी या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रु० 20,000/- (बीस हजार) मात्र की कार्यप्रभारित प्रतिभूति (Security Deposit)/ई०एम०डी० (Earnest Money Deposit) राशि तकनीकी निविदा खोलने की तारीख और समय से कम से कम 30 मिनट पहले मूल रूप से निविदा आमंत्रित प्राधिकारी के कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा। निविदा प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत असफल आवेदकों को बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- (vii) आवेदक/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/एजेंसी द्वारा विधिवत भरा हुआ संगठनात्मक प्रोफाइल।

(5.) वित्तीय निविदा के लिए आवश्यक दस्तावेज

- (i) ऐसे आवेदक/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/एजेंसी, जो अधिकतम निर्धारित दरों अथवा उससे कम पर तथा निर्धारित शर्तों पर अपनी वाहनों की आपूर्ति करने पर सहमत होंगे, उनकी सेवा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा लिया जाएगा। इच्छुक आवेदकों द्वारा सेवा निम्नलिखित दो प्रकार से दिये जाने हेतु आवेदन किया जा सकता है :—

दीर्घकालीन— मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु (प्रारूप—3)

अल्पकालीन— दैनिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु (प्रारूप—4)

- (ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रारूप 3 एवं 4 में दर का प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। प्रारूप 3 में वाहनों को मासिक दर के आधार पर 1500 किमी० प्रति महिने के लिए प्रस्तावित दर उल्लेखित किया जाना है। अगर किसी माह में 1500 किमी० का पूर्ण उपयोग नहीं होता है तो वह अगले महीने में उपयोग किया जा सकेगा। इस माईलेज की गणना प्रत्येक वर्ष फरवरी में अथवा उपयोग के अंतिम महीने में की जा सकेगी। वाहन पूर्ण रूप से विभाग/कार्यालय/

अधिकारी के नियंत्रण में होगा एवं प्रतिदिन औसतन 12 घंटे तक उपयोग में लाया जा सकेगा। उसी प्रकार, प्रारूप 4 में प्रतिदिन का दर 80 किमी० के परिचालन के लिए एवं 10 घंटे उपयोग हेतु उल्लेखित किया जाना है।

(6.) आवेदनों का मूल्यांकन/मूल्यांकन के मापदण्ड

- (i) निविदा की प्रक्रिया Double Envelope System पर आधारित होगी, जिसमें तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के लिए दो अलग-अलग प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन इस हेतु गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
- (ii) सर्वप्रथम तकनीकी निविदा के आवेदनों को इस हेतु गठित समिति एवं इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में खोला जाएगा। तकनीकी निविदा में सफल आवेदकों का वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
- (iii) आवेदनों के मूल्यांकन के दौरान सभी शर्तों को पूर्ण करने वाले एवं इस प्रपत्र में दी गयी शर्तों से सहमत होने वाले आवेदकों को सफल घोषित किया जाएगा।
- (iv) आवेदन स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा। आवेदन स्वीकृत करने हेतु दरों, आपूर्ति की गुणवत्ता तथा फर्म के प्रोफाईल एवं पुरानी परफारमैन्स को ध्यान में रख कर निर्णय लिया जाएगा।
- (v) समिति द्वारा स्वीकृत निविदा न्यूनतम 02 (दो) वर्ष तक के लिए मान्य रहेगा।
- (vi) अगर L2 एजेंसी न्यूनतम दर अंकित करने वाले एजेंसी (L1) के दर पर ही वाहन उपलब्ध कराने हेतु तैयार होता है तो झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रॉची को यह अधिकार होगा कि वह L2 एजेंसी को भी कार्य का कुछ हिस्सा देने पर विचार करेगा।

(7.) सामान्य नियम एवं शर्तें

(क) आवेदक का उत्तरदायित्व

- (i) आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रपत्र का भलिभौति अध्ययन कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि वह आवेदन की सभी शर्तों/आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। किसी भी समय आवेदन की सभी शर्तों/आवश्यकताओं की पूर्ति की सम्पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की

होगी। आवेदक द्वारा आवेदन की सभी शर्तों/आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची नियमानुसार कार्रवाई के लिए सक्षम होंगे।

- (ii) आवेदन पत्र में दिए गए विवरण आयोग द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हैं और इस प्रपत्र में दी गई सूचनायें आवेदक को प्रस्ताव तैयार करने में सहायक होगी, परन्तु आवेदक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन करने से पूर्व उनका सत्यापन अपने स्तर से अवश्य कर लें। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची अथवा उसके प्रतिनिधि कोई त्रुटि नहीं होने की गारन्टी नहीं देता है।
- (x) आवेदन पत्र तैयार किया जाना
- (i) आवेदक द्वारा अपना प्रस्ताव इस आवेदन प्रपत्र में दिए गए प्रारूप के अनुसार ही तैयार करना है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे प्रस्तावों, जो निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं, को निरस्त कर सकते हैं।
- (ii) आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा सभी स्थानों पर, जहाँ अपेक्षित हैं, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। अहस्ताक्षरित/अपठनीय आवेदनों को अयोग्य मानते हुए निरस्त करने का अधिकार झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत कोई अधिकारी का होगा।
- (iii) आवेदक द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा सभी अपेक्षित संलग्नक/प्रमाणित प्रतियां संलग्न कर दी गई हैं।
- (iv) उपरोक्त तैयार आवेदनों को दो (02) मुहरबन्द लिफाफे में रखा जाएगा और उस पर स्पष्ट रूप से निम्नवत विवरण अंकित होना चाहिए :—

“झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के लिये बाह्य स्रोतों से वाहनों की आपूर्ति किये जाने के लिए तकनीकी निविदा हेतु आवेदन पत्र”

तथा

“झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के लिये बाह्य स्रोतों से वाहनों की आपूर्ति किये जाने के लिए वित्तीय निविदा हेतु आवेदन पत्र”

उपरोक्त के अतिरिक्त लिफाफे पर आवेदक का नाम, पता एवं सम्पर्क दूरभाष नम्बर भी स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

(v) पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन सम्बंधित अधिकारी को निम्नलिखित पते पर प्रेषित किया जाएगा :

पता :— अवर सचिव (सामान्य), झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची—834001

(vi) आवेदन के साथ कार्यप्रभारित प्रतिभूति (Security Deposit) /ई०एम०डी० (Earnest Money Deposit) के रूप में अनुसूचित बैंक से बिना शर्त बैंक गारंटी या डिमांड ड्राफ्ट संलग्न नहीं होने की दशा में आवेदन प्रपत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार की छूट (Exemption) संबंधी प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(vii) दरें सभी करों/सर्विस टैक्स सहित हैं।

(ग) आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि

(i) पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन दिनांक—05.03.2025 को अपराह्न 06:00 बजे तक झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची में प्राप्त होना आवश्यक है। फैक्स अथवा ई—मेल आदि के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) डाक में आवेदन के गुम हो जाने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने का उत्तरदायित्व झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का नहीं होगा और विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को बिना खोले आवेदक को लौटा दिया जाएगा।

(iii) झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची किसी भी समय आवेदन प्रक्रिया की तिथियों में परिवर्तन कर सकते हैं।

(घ) जमा कराये गये आवेदन में संशोधन अथवा वापस लिया जाना

(i) आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व, किसी समय यदि, कोई आवेदक जमा किये गये आवेदन में संशोधन करना चाहता है, तो वह इस आशय का लिखित आवेदन कर संशोधन कर सकता है। परन्तु ऐसी स्थिति में उसे लिफाफे पर “संशोधित आवेदन” स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।

(ii) परन्तु, यह कि आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त आवेदन में कोई परिवर्तन /संशोधन ग्राह्य नहीं होगा।

(ङ) गोपनीयता

आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदनों के मूल्यांकन, स्पष्टीकरण अथवा संस्तुतियों के संबंध में कोई जानकारी किसी भी व्यक्ति, जो अधिकृत रूप से इस प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, को नहीं दी जाएगी।

- (च) बाह्य स्रोत से वाहन रखने की अवधि
उक्त अवधि सेवा प्राप्त करने के दिनांक से 02 (दो) वर्ष के लिये होगी।
- (छ) सेवा अवधि के मध्य दरों में संशोधन
उपरोक्त दरें 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए वैध है। सेवा की वैध अवधि में दरों में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन किसी भी पक्ष द्वारा नहीं किया जाएगा।
- (ज) भुगतान की रीति
- (i) कार्य की पूर्ति पर संबंधित आपूर्तिकर्ता को भुगतान झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा दैनिक / मासिक (जैसी भी स्थिति हो) आधार पर सामान्यतः विपत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।
 - (ii) समय-समय पर राज्य में प्रभावी नियमों के अनुसार झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा भुगतान के समय नियमानुसार कटौती की जाएगी।
 - (iii) किसी वाहन के संतोषजनक परिचालन नहीं रहने की स्थिति में झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को अधिकार सुरक्षित होगा कि संबंधित वाहन का मासिक या आंशिक भुगतान अवरुद्ध रखे अथवा अनुमान्य कटौती कर भुगतान करें।
 - (iv) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत विपत्र में यात्रा की अवधि, उपयोग करने वाले अधिकारी / कर्मचारी का नाम, मोबाइल नं०, यात्रा की तिथि, यात्रा करने का स्थान, यात्रा प्रपत्र में गाड़ी का मेक / मॉडल / प्रकार तथा वाहन संख्या, आरंभ एवं अंत कि०मी० स्पष्ट रूप में अंकित होना चाहिए।
- (झ) सेवा प्रदान करने में विलम्ब हेतु शास्ति / दर अनुबन्ध का निरस्तीकरण
निम्नलिखित अवसरों पर कार्यप्रभारित प्रतिभूति (Security Deposit) / ई.एम.डी. (Earnest Money Deposit) राशि को जब्त करते हुए दर अनुबन्ध को समाप्त कर दिया जाएगा :—
- (i) यदि आपूर्तिकर्ता समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।
 - (ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं।
- (ज) अन्य शर्तें
- (i) आवेदक द्वारा कार्य के संबंध में विभिन्न अधिनियमों / नियमों यथा— श्रम अधिनियम, राज्य के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम-2021, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, पीएफ, ईएसआई मोटररायन अधिनियम आदि में विहित व्यवस्थाओं / नियमों / औपचारिकताओं का अनुपालन (जहाँ लागू हो) किया जाएगा।

- (ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी प्रकार की सूचना, कागजात, अभिलेख आदि किसी भी समय गलत पाया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी, जिसमें EMD की राशि को जब्त करना, Blacklist करना आदि भी शामिल है।
- (iii) अनुबंध अवधि के दौरान यदि आपूर्तिकर्ता का नाम Acquisition, Amalgamation आदि के कारण बदल गया हो, तो आपूर्तिकर्ता को अपने नाम परिवर्तन के एक महीने के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अनुबंध रद्द कर दिया जायेगा एवं EMD की राशि भी जब्त किया जा सकेगा।
- (iv) आपूर्ति किए गए वाहन झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के निदेशानुसार कार्य पर लगाये जायेंगे तथा बिना अनुमति के आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूरित वाहन का उपयोग नहीं किया जायेगा।
- (v) सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा की जाएगी।
- अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति में अन्य प्रदेशों के कर आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा की जाएगी।
- (vi) वाहनों की संख्या एवं प्रकार आवश्यकतानुसार घट या बढ़ सकती है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से तत्संबंधी आदेश प्राप्त होने पर वाहनों की संख्या/प्रकार संशोधित करने की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
- (vii) सफल आवेदन/आपूर्तिकर्ता द्वारा करार के दौरान कोई भी वाहन, जो पूर्व में दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो अथवा 03 वर्ष से अधिक पुरानी हो, वाहन की आपूर्ति नहीं की जाएगी। आपूर्ति किये गये वाहन के साथ संलग्न सेवायोजित (attach) पर तैनात किए जाने वाला चालक का वैध व्यवसायिक लाइसेन्स तथा आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- (viii) वाहन को सुरक्षित रखने की सारी जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता एवं चालक की होगी।
- (ix) किमी० की कवरेज आवेदक के कार्यालय के निकटतम स्थान से शुरू होगी तथा उपयोगकर्ता के निवास स्थान पर समाप्त होगी।

- (x) वाहन में हमेशा पर्याप्त मात्रा में ईंधन सुलभ रहना चाहिए। यदि ईंधन समाप्त होने के कारण वाहन का परिचालन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रति घंटा 100/- रुपये की दर से भुगतान में कटौती की जायेगी। यदि बार-बार ईंधन समाप्त होने के कारण परिचालन बाधित होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष अविलंब एकरारनामा रद्द करते हुए EMD की राशि जब्त कर लेंगे।
- (xi) आपूर्ति की जानेवाली वाहन उचित गुणवत्ता (Excellant Condition) वाली होनी चाहिए। वाहन की आन्तरिक साज-सज्जा यथा—सीट कवर, तौलिया (सफेद रंग), पढ़ने के लिए बिजली, फुटमैट, छाता आदि, उत्कृष्ट क्वालिटी का होना आवश्यक है। आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक सप्ताह वाहन में लगे तौलिया को धुलाई कराना होगा।
- (xii) वाहन के टायर, बैट्री, हैडलाईट बीम, ब्रेक, इन्डिकेटर, वाईपर, शीशा, दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के होने चाहिए।
- (xiii) झारखण्ड सरकार के परिवहन कार्यालय में वाहन नियमानुसार पंजीकृत होनी चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा—पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वैध होने चाहिए। पंजीयन शुल्क, फिटनेस शुल्क, मोटर वाहन कर, बीमा, चालक/स्टाफ की वर्दी (सफेद सफारी सूट, पी कैप) चालक लाईसेन्स आदि पर सभी प्रकार के संबंधित व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किये जाएंगे।
- (xiv) वाहन के साथ संलग्न सेवायोजित (attach) पर तैनात किए जाने वाला चालक, वैध व्यवसायिक लाईसेन्स धारक होना चाहिए तथा चालक का ऊटी के दौरान नियमानुसार वर्दी में होना आवश्यक है। वाहन का चालक वाहन चलाने की दृष्टि से हृष्ट-पुष्ट (Medically Fit) एवं पर्याप्त अनुभवी तथा वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। चालक का आचरण मृदुभाषी, अनुशासित होना अपरिहार्य है। चालक का आचरण अपराध रहित होना चाहिए। आयोग कार्यालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर चालक का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जा सकता है। चालक को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
- (xv) आपूर्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे चालक, जो नशे के सेवन का आदि हो, को वाहन पर सेवायोजित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे चालक, जो नशे का सेवन कर वाहन चलाने अथवा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने अथवा किसी पुलिस वाद आदि में दोषी पाया गया हो, को भी वाहन में सेवायोजित नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा किसी चालक के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र की अपेक्षा की जा सकती है।

- (xvi) झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची, जिसके द्वारा वाहन किराये पर लिया गया है, वाहन के किसी ऐसे चालक, जो अपने कर्तव्य का पालन उचित ढंग से करने में असमर्थ हैं अथवा उसका आचरण एवं कार्य संतोषजनक नहीं है, को हटाने हेतु आपूर्तिकर्ता को निर्देशित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता को तत्काल दूसरे चालक/स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।
- (xvii) वाहन अथवा वाहन चालक को बदलने से पूर्व आपूर्तिकर्ता को झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा बिना अनुमति के चालक अथवा वाहन को नहीं बदला जायेगा।
- (xviii) यदि कोई चालक अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो आपूर्तिकर्ता को उसके स्थान पर अविलंब अन्य किसी चालक की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। यदि दूसरे चालक द्वारा रिपोर्ट करने में विलंब होता है, तो प्रति घंटा 100/- रुपये की दर से भुगतान में कटौती की जायेगी। यदि चालक द्वारा पूरे दिन में रिपोर्ट नहीं किया जाता है तो वैसी स्थिति में पूरे दिन हेतु 1000/- रुपये की कटौती भुगतान में से की जायेगी।
- (xix) झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा।
- (xx) आपूर्तिकर्ता का यह दायित्व होगा कि चालक के पास पर्याप्त धनराशि (Cash) उपलब्ध हो, ताकि यात्रा के दौरान ईधन, मरम्मत अथवा वाहन संबंधित अन्य व्यय किया जा सके।
- (xxi) मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (Breakdown) होने पर आपूर्तिकर्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो आयोग आपूर्तिकर्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।
- (xxii) आपूर्तिकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विभाग/कार्यालय/अधिकारी से संबंधित झारखण्ड सरकार के सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जाएगा।
- (xxiii) आपूर्तिकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संबंधित अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि से सम्पर्क रखा जाएगा तथा डयूटी के समयबद्ध संचालन हेतु उनके द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन किया जाएगा।

- (xxiv) वाहन का उपयोग समान्यता कार्य दिवसों में किया जायेगा। परन्तु आवश्यकता पड़ने पर वाहन का उपयोग किसी भी समय (अवकाश के तिथियों सहित) किया जा सकता है। वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है।
- (xxv) आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुर्णठेके (Sub-let) पर नहीं दिया जाएगा।
- (xxvi) निर्धारित दैनिक/मासिक किराया के अलावे आपूर्तिकर्ता को अलग से किसी भी तरह की राशि देय नहीं होगी। परन्तु, अन्य जिलों में वाहन के रात्रि विश्राम करने की स्थिति में रूपये 500.00 प्रति रात्रि की दर से रात्रि चार्जेज का भुगतान पृथक से किया जाएगा। यह भुगतान दैनिक दर पर वाहन नियोजित करने पर ही किया जाएगा।
- (xxvii) वाहन में लॉगबुक के अतिरिक्त एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका भी रखना आवश्यक होगा।
- (xxviii) वाहन में नियमानुसार स्टेपनी, टूल किट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र (Fire extinguisher) भी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है।
- (xxix) Traffic Rules का उल्लंघन करने पर जुर्माना की राशि आपूर्तिकर्ता के द्वारा देय होगा।
- (xxx) इससे उत्पन्न कोई भी कानूनी विवाद राँची स्थित माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
- (ट) उपरोक्त किसी भी प्रावधान के बावजूद झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पास एक या एक से अधिक या सभी Bid को स्वीकार या अस्वीकार करने तथा बिना कोई कारण बताये किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

कार्यक्रम :-

“निविदा” समर्पित करने की अंतिम तिथि—05.03.2025 को अपराह्न— 06:00 बजे तक है।
 “तकनीकी बीड़” खोलने की तिथि—06.03.2025 को अपराह्न— 02:00 बजे है।
 “वित्तीय बीड़” खोलने की तिथि बाद में तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं को सूचित की जायेगी।

आयोग कार्यालय में निविदा समर्पित करने का पता— अवर सचिव (सामान्य), झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड राँची—834001 के कार्यालय में कार्य दिवस के अपराह्न— 06:00 बजे तक है।

अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् व्यक्तिगत या डाक द्वारा समर्पित "निविदा" पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। निविदा एवं किराये में वाहन लिये जाने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसका क्षेत्राधिकार झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची होगा।

उक्त पर सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

अवर सचिव (सामान्य),
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।